स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत आयोजित करने के लिए लोक अदालत स्कीम, 1997 के अधीन जारी अनुदेश

INSTRUCTIONS TO ORGANISE PERMANENT AND CONTINOUS LOK ADALAT UNDER LOK ADALAT SCHEME, 1997

जबलपुर, दिनांक 30 अगस्त 1999

क्र. फा.नं. 38-स्था.- राविसेप्रा- 99 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य प्राधिकरण लोक अदालत स्कीम, 1997 निर्मित की है जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) में दिनांक 9 जनवरी, 1998 को प्रकाशित की गई है, राज्य प्राधिकरण स्थायी एवं निरन्तर लोक अदालत आयोजित करने के लिए उक्त स्कीम के अधीन निम्नलिखित अनुदेश जारी करता है अर्थातः—

उच्च न्यायालय के लिए

स्थायी तथा निरंतर लोक अदालत आयोजित करने के लिए प्रक्रिया :—

(1) उच्च न्यायालय के लिए कम्प्यूटर शीट में एक कालम होगा, अर्थात, क्या पक्षकार लोक अदालत में मामला निर्देशित करना पसंद करेगा;

(2) दैनिक वाद सूची (कॉज लिस्ट) में उन मामलों का, जिनके बारे में किसी पक्षकार या काउंसेल द्वारा लोक अदालत के माध्यम से समझौता प्रस्तावित हो, वर्गीकरण होना चाहिए;

(3) ऐसे मामले, जिन्हें दैनिक वाद सूची (कॉज लिस्ट) में सम्मिलित किया गया है उच्च न्यायालय की समुचित बैंच के समक्ष सूचीबद्ध किये जायेंगे तथा पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाला काउंसेल इस प्रयोजन के लिए अपनी सहमती दे सकेगा तत्पश्चात् रजिस्ट्री, संबंधित पक्षकार को एस.पी.सी. जारी करेगा तथा मामला लोक अदालत को निर्देशित किया जायेगा;

(4) यदि किसी मामले में, जिसमें पक्षकारों में से कोई पक्षकार लोक अदालत को मामला निर्देशित करना चाहता हो, किसी अन्तरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई हो तो ऐसे मामले को अन्तरित राहत के विचारार्थ उच्च न्यायालय के समुचित बैंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जायेगा तथा उसके पश्चात मामला लोक अदालत को निर्देशित किया जा सकेगा;

JABALPUR, 30 AUGUST 1999

F. No- 38 Estt.- SLSA 99- In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 2 read with clause (a) and (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) the State Authority, has framed Lok Adalat Scheme 1997 which nas already been published in the Madhya Pradesh Rajpatra Part 4 (c), deated 9th January 1998. the State authority hereby issues the following instructions to organise Permanent and Continuous Lok Adalats under this scheme, namely:—

FOR HIGH COURT

Procedure for organising permanent and continuous Lok Adalt :—

(1) For High Court there shall be a column in the Computer Sheet nemely whether party would like to refer the matter to the Lok Adalt;

(2) In daily cause list there should be a classification of those cases regarding which any proposal of settlement through Lok Adalat has been made by any party or a counsel;

(3) Such cases which are included in daily cause list shall be listed before the appropriate Bench of the High Court and the counsel representating the party can give their consent for this purpose. Thereafter, Registry will issue S.P.C. to party concerned and the matter will be referred to Lok Adalat;

(4) If there is a prayer for any interim relief in any matter in which any of the parties wants the matter to be referred to the Lok Adalat, such matter shall be listed before the appropriate Bench of the High Court for consideration of interim relief and, thereafter, the matter may be referred to Lok Adalat;

Scanned by CamScanner

(5) लम्बित मामलों में, यदि समझौते के लिए कोई प्रस्ताव हो या दोनों पक्षकारों को सुनवाई के पश्चात् यदि उच्च न्यायालय की बेंच को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते की संभावना है तब ऐसे मामले को लोक अदालत को निर्देशित किया जा सकेगा;

(6) उच्च न्यायालय में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत आयोजित करने के लिए प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक शनिवार, जिस दिन काम बंद रहता है, नियत किया जा सकेगा, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, मुख्य न्यायमूर्ति के पूर्व अनुमोदन से, उच्च न्यायालय की बैंच या बैंचों का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति समाविष्ट होगा:—

(एक) उच्च न्यायालय का आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश.

(दो) विधिक व्यवसाय का सदस्य.

(तीन) विधि के क्षेत्र का विख्यात व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता.

जिला प्राधिकरणों के लिए

(1) (क) प्रत्येक जिला मुख्यालय में, कम से कम एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तथा एक सिविल न्यायाधीश वर्ग—एक को भी स्थायी आधार पर लोक अदालत आयोजित करने के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, ऐसी लोक अदालत, माह में एक बार यथास्थिति, शनिवार को जिस दिन काम बंद रहता है या रविवार को अपनी बैठक आयोजित करेगी.

(ख) जिला स्तर पर लोक अदालत की प्रत्येक बेंच का गठन निम्नलिखित में से दो या तीन व्यक्ति समाविष्ट करते हुए किया जावेगा:—

(एक) सेवारत न्यायिक अधिकारी,

(दो) विधि के क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति या सामाजिक कार्यकर्ता,

(तीन) विधिक व्यवसाय का कोई सदस्य,

लोक अदालत की ऐसी बेंच या बेंचों को संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सदस्यों द्वारा सहायता की जायेगी.

जिला प्राधिकरण का सचिव, अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से जिला मुख्यालय पर लोक अदालत की बेंचों का गठन करेगा.

(5) In pending cases if there is a proposal for settlement or after hearing both the parties if the Bench of High Court feels that there are chances of amicable settlement between any parties then such matter can be referred to Lok Adalat;

(6) Any non-working saturday atleast once in every 3 months can be fixed to organise permanent and continuous Lok Adalat in the High Court. The Secretary of the High Court Legal Service Committee shall constitute Bench or Benches of the High Court, with the prior approval of the Cheif Justice, Comprising any of the following:-

(i) A sitting or a retired High Court Judge.

(ii) A member of Legal profession.

(iii) An eminent person in the field of law or a Social Worker.

FOR DISTRICT AUTHORITIES

1.(a) At every district headquarter atleast one Additional District Judge and also a Civil Judge, Class I should be nominated to hold Lok Adalat on a permanent basis. Such Lok Adalat shall hold its sitting once in a month on non-working Saturday or Sunday, as the case may be.

(b) Each Bench of the Lok Adalat at district level be constituted comprising two or three of the following:-

(i) Serving Judicial Officer.

(ii) Any eminent person in the field of Law or a social worker,

(iii) A Member of Legal Profession.

Such Bench or Benches of Lok Adalat shall be assisted by Class III and Class IV staff members of the court of concerning Presiding Officer.

At district headquarter, Secretary of the district authority with the prior approval of the Chairman shall constitute Benches of Lok Adalt.

Scanned by CamScanner

2. (एक)न्यायालय में मामला संस्थित करने के पूर्व अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समझौते द्वारा विनिश्चय किए जाने की वांछा रखने वाला पक्षकार संबंधित समिति के सचिव के समक्ष अपना मामला फाइल करेगा ऐसे वाद या याचिका पर कोई न्यायालय फीस नहीं चुकाई जायेगी.

(दो) वाद को पेश करने के पश्चात, उसे सुलह के लिए मामले के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जावेगा.

(तीन) मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित न हो तो विरोधी पक्षकार/पक्षकारों को यह निर्देश देते हुए कि वह वे लोक अदालत की बैंच के समक्ष उपस्थित हों सूचनाएं जारी की जायेंगी, किन्तु पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने हेतु कोई बाध्यकारी आदेशिकायें जारी नहीं की जायेंगी, सूचनाओं की तामील को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें, यथास्थिति, जिला प्राधिकरण/तालुका समिति के व्यय पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जायेगा.

(चार) लोग अदालत के समक्ष दोनों पक्षकारों के उपस्थित होने पर, ऐसी लोक अदालत की बैंच पक्षकारों के विवाद का सौहार्दपूर्ण रूप से निपटारा करने के लिए सहायता करेगी तथा सलाह देगी और पक्षकारों को सुझाव भी देगी, विरोधी पक्षकार को लिखित कथन फाइल करने का अधिकार होगा.

(3) यदि ऐसे पक्षकारों में से किसी पक्षकार का काउंसेल द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता हो तो लोक अदालत की बैंच ऐसे पक्षकार/पक्षकारों को लोक अदालत की बैंच के समक्ष उनका मामला तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए विधिक सहायता अधिकारी की सहायता उपलब्ध करायेगी तथा उन्हें सहायता देगी और लोक अदालत की बैंच दोनों पक्षकारों के बीच समझौता करवाने में सहायता करेगी.

(4) लोक अदालत की बैंच, विरोधी पक्षकार के उपस्थित होने की तारीख से युक्तियुक्त समय यथासंभव 3 मास के भीतर, पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समझौते का प्रयत्न करेगी:–

(एक) लोक अदालत की बैंच, पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर ऐसा विधिक आदेश या पंचाट, जैसा वह न्याय के उद्देश्य से उचित समझे, पारित करेगी.

2 (i) A party desireous of his dispute to be decided by amicable settlement before instituting the case in Court, shall file its case before Secretary of the concerned Committee, No Court fees shall be paid on such suit or petition.

(ii) After presentation of the suit, it will be registered as a case for conciliation.

(iii) After registeration of the case, if opposite party is not present, then notices shall be issued to the opposite party/parties directing it/ them to appear before the Bench of Lok Adalat, but no coercive processes shall be issued to compel the appearance of the parties. To ensure the service of notices, the same may be issued by registered post at the expenses of the District Authority/ Taluka Committee as the case may be.

(iv) On Appearance of both the parties before the Lok Adalat, the bench of such Lok Adalat shall assist and advice and also give suggestions to the parties to settle the dispute amicably. The opposite party shall have the right to file written statement.

3. If any of such parties is not represented by a counsel, the Bench of Lok Adalat shall provide the assistance of the Legal Aid Officer to such party/ parties to prepare and submit their case before the Bench of Lok Adalat and assist them and also the Bench of Lok Adalat in arriving at compromise between the parties.

4. The Bench of Lok Adalat will try to arrive at a amicable settlement between the parties within a reasonable time as far as possible within 3 months, from the date of appearance of the opposite party:-

(i) The Bench of Lok Adalat shall pass such Legal order or award on the basis of the settlement arrived at between the parties, as it may deem proper in the ends of justice.

Scanned by CamScanner

(दो) बैंच को किसी साक्ष्य को अभिलिखित करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु अभिवचनों, दस्तावेजों तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् बैंच पक्षकारों के बीच के विवाद को अभिनिश्चित कर सकेगी.

(तीन) पक्षकारों तथा बैंच द्वारा समस्त संभव प्रयास करने के पश्चात् यदि विवाद में सौहार्दपूर्ण रूप से समझौता न हो सके तो बैंच, पक्षकार/अर्जीदार को अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय से अपना उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

5. मुकदमा पूर्ण तथा लम्बित मामलों में लोक अदालत द्वारा पारित कोई आदेश या पंचाट, उसके निष्पादन के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा और जिला न्यायाधीश को मामले में अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के निष्पादन के आवेदनों को सौंपने की अधिकारिता होगी।

(ii) The Bench shall have no right to record any evidence. But after perusing the pleadings, documents and other material available on the record the bench may ascertain the controversy between the parties.

(iii) After making all possible efforts by the parties and the bench, if the dispute could not be settled amicably, the bench shall advise the party/petitioner to seek his remedy in the competent court of law having jurisdiction.

5. Any order/ award passed by Lok Adalat in prelitigation and pending cases, its execution application shall be presented to the court of District Judge and the District Judge shall have jurisdiction to make over the execution applications to the competent court having jurisdiction in the matter.

N.K. JAIN, Member Secretary

Scanned by CamScanner